वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, आज, परफेक्ट मिशन, न्यायाधीश, जनसंदेश टाइम्स, राष्टीय सहारा," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 13.11.2024

किस्त अदा नहीं करने वालों की दुकानें होंगी निरस्त

वाराणसी। दशाश्वमेध क्षेत्र विकास फाउंडेशन (डीएडीएफ) की बैठक मंगलवार को वीडीए में हुई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रशासनिक कार्यों और योजना के कार्यान्वयन में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि दुकानें खरीदने की निर्धारित अवधि के बाद भी किस्त अदा नहीं करने वालों के खिलाफ निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 13.11.2024

बगैर पंजीकरण और एनओसी के न कराएं बोरवेल

वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जल संचयन के लिए वीडीए में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीडीओ ने कहा कि भूगर्भ विभाग से बगैर पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र के बोरवेल न कराएं। बैठक में एक कंपनी के प्रतिनिधि ने प्योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। कहा कि फिल्टर पोर्टेबल टैंक स्थापित कर वर्षा का जल संचयन का सुझाव दिया। इसमें पूर्वाचल रियल स्टेट एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशनने जल संचयन कि अनिवार्यता पर जोर दिया। ब्यूरो

हिन्दुस्तान –दि0 13.11.2024

4 अवैध निर्माण सील किए गए

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने मंगलवार को नगवा वार्ड में चार अवैध निर्माण सील किए। शिवाला, भदैनी, अवधगर्वी और रश्मिनगर कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भदैनी में 195 वर्गमीटर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

वीडीए बोर्ड की बैठक आज

वाराणसी। वीडीए बोर्ड की 132वीं बैठक बुधवार को होगी। वीडीए मुख्यालय में कमिश्नर कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें किराएदारों के लिए भवन स्वामी को एडवांस में धनराशि जमा करने पर छूट, ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट आवंटन, पेइंग गेस्ट हाउस नियमावली में शिथिलता, होटलों के प्रावधानों के संबंध में चर्चा होगी। ट्रांसपोर्टरों द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट की दरों को कम करने की मांग की जा रही है।

हिन्दुस्तान –दि0 13.11.2024

जल संचय का प्रबंध अनिवार्य रूप से करें

वाराणसी। वर्षा जल संचय के नये और प्रभावी तरीकों पर मंगलवार को वीडीए मुख्यालय में बैठक हुई। सीडीओ ने कहा कि बोलवेल के लिए भू-गर्भ विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाए। नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट डॉ. नम्रता जायसवाल ने कहा कि काशी में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए बिल्डरों को अनिवार्य रूप से इन उपायों को अपनाना होगा।

विशेषज्ञ प्रवीन शर्मा एवं सजल जैन ने कहा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के स्थान पर प्योर रेन हारवेस्टिंग सिस्टम में बड़े, छोटे फिल्टर पोर्टेबल टैंक स्थापित कर जल संचय करना चाहिए।

दैनिक जागरण –दि0 13.11.2024

दुकानों के बाहर लिखना होगा नाम नहीं तो वेंडर होंगे ब्लैक लिस्टेड

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की मौजूदगी में मंगलवार को डीएडीएफ की बोर्ड बैठक वीडीए में हुई। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि दशाश्वमेध प्लाजा के लिए डीएडीएफ बोर्ड बनाया गया है। निर्धारित अवधि में किश्त जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके आवंटन को निरस्त किया जाएगा। डीएडीएफ के शेष 24 दुकानों के आवंटन के लिए कई बार तिथि घोषित की गई लेकिन कोई सामने नहीं आया। आवंटियों को अपने दुकान के सामने नाम पट्टिका लगाना होगा। नहीं लगाने के स्थिति में उन वेंडरों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। वहीं, डिजिटल बोर्ड नियमानुसार लगवाने का निर्देश दिया। दशाश्वमेध प्लाजा भवन के छत पर जिओ टावर जगह आवंटित करने की अनुमति दी गई। वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता निर्माण अजय पवार, प्रभारी अधिकारी संपत्ति आरके जायसवाल, स्मार्ट सिटी के प्रबंधक आदि मौजूद थे।

डीएडीएफ की बोर्ड बैठक नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग व सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा(बाएं से)

दैनिक जागरण –दि0 13.11.2024

वीडीए ने सील किए चार अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार में भेलूपुर वार्ड के शिवाला में अनवर जमाल, क्रिमकुंड में शकुंतला तिवारी, अवध गरबी में केदारनाथ गुप्ता और रश्मि नगर कालोनी में रवि प्रकाश पांडेय अवैध निर्माण कर रहे थे। वीडीए टीम ने सभी अवैध निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 13.11.2024

बकाया किश्त न जमा करनेपर दुकानका आवंटन होगा निरस्त

विप्रा उपाध्यक्ष और नगर आयुक्तके संयुक्त रूपसे की गयी अध्यक्षतामें मंगलवारको डीएडीएफ की बैठक हुई जिसमें संबंधित विषयको लेकर आवश्यक निर्देश जारी किये गये। इसमें दुकानोंका किराया सही ढंगसे न जमा करनेपर निरस्त किया जायेगा। अलोकप्रिय दुकानें जिनकी संख्या २४ है इन्हें नीलाम करनेके लिए वीडीएने कई बार कदम उठाया लेकिन अभीतक रिक्त हैं। शासनादेशके आधारपर इन दुकानोंको अलोकप्रिय करते हुए नीलामी की जायेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुकानोंके बाहर नाम पट्टिका लगना अति आवश्यक है। अधिकारियोंने कहा कि ऐसा न करनेपर वेण्डरको एक सप्ताहके बाद ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा। डिजिटल बोर्डका स्थानान्तरण करते हुए प्लाजाके प्रवेश द्वारपर डिजिटल बोर्ड नियमानुसार लगाये जायेंगे। वहीं दशाश्वमेध प्लाजाके छतके ऊपर शर्तोंके अधीन जियो टावरको अनुमति मिलेगी। बैठकमें सचिव, अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, प्रबन्धक स्मार्ट सिटी, प्रबन्धक आईएसडब्ल्यूएचसी और प्रबन्धक डीएडीएफ, चार्टेड एकाउंटेंट सहित अन्य लोग मौजूद थे।

वर्षा जल संचयपर विप्रामें हुई कार्यशाला

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षके निर्देशपर मुख्य विकास अधिकारीकी अध्यक्षतामें मंगलवारको वीडीए सभागारमें वर्षा जल संरक्षणपर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें उपस्थिति विशेषज्ञोंने काशीमें गिरते हुए भूजल स्तर एवं विकास कार्योंके लिए जल संचयपर जोर दिया। कार्यशालाका प्रतिनिधित्व करते हुए एक निजी कम्पनीने बताया कि पुरानी रेन हार्वेस्टन सिस्टमके स्थानपर प्योर रेन हार्वेस्टन सिस्टमके तहत बड़े और छोटे फिल्टर फोर्टेबल टैंकमें लगानेपर वर्षा जल संचय किया जा सकता है। निजी करम्पनी अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेडके सदस्योंने कहा कि ट्रिटेड जल सार्वजनिक पार्क या बगीचेमें आपूर्ति करनेपर सिंचाईके लिए अच्छा साधन मिलेगा। बैठकमें उपस्थित लोगोंको फ्लो मीटर और पिजो मीटरका प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारीने भूगर्भ विभागसे बोरबेल पंजीकरण एवं अनापत्ति प्राप्त करनेका भी सुझाव दिया।

आज –दि0 13.11.2024

छात्राओं ने बनारसगिरी कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

सुंदरपुर स्थित धीरेन्द्र महिला पी.जी. कॉलेज की छात्राओं ने वाराणसी डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा छावनी परिषद के नेहरू पार्क में आयोजित बनारसगिरी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपनी सराहनीय

उपस्थिति दर्ज करायी। मुख्य रूप से सेहत, वेलनेस, क्रिएटिविटी, योगा, जुम्बा, पोस्टर, पेंटिग तथा कम्युनिटी स्पीरिट पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में छात्राओं ने कई प्रतियोगिताओं में सहभागिता की तथा अपने कौशल और हुनर का परिचय दिया। इस प्रतियोगिता में फाइन आर्टस की २५ छात्राओं ने फेस पेंटिग को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया तथा बी.एड और बी.पी.एड की ४० छात्राओं ने हेल्थ वेलनेस तथा वालैंटियर के रूप में सहभागी बनी। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, अनुराधा सिंह, आराधना सिंह उपस्थित रहीं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 13.11.2024

उपाध्यक्ष वीडीए और नगर आयुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में डीएडीएफ की बैठक आयोजित

वाराणसी। डीएडीएफ की बैठक उपाध्यक्ष वीडीए और नगर आयुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई, बैठक के दौरान विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और योजना के कार्यान्वयन में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में उपाध्यक्ष वीडीए और नगर आयुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिए जिनमें . निर्धारित अवधि के बाद भी किश्त अदा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत जिन आवंटियों ने DADF में दुकानें क्रय की है और निर्धारित अवधि के बाद भी किश्तें अदा नहीं की है, उनके खिलाफ निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।. अलोकप्रिय दुकानों का निराकरण के सम्बन्ध में DADF की बची हुई 24 दुकानों को जो कई बार ई-ऑक्शन के बाद भी बिक नहीं रही है, उन्हें शासनादेशानुसार अलोकप्रिय घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी। नाम पट्टिका और कार्यवाही के क्रम में दुकानों के बाहर लगने वाली नाम पट्टिका के संबंध में कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अंदर पूरी की जाएगी। कार्य न करने वाले वेंडर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। डिजिटल बोर्ड का स्थानांतरण: DADF प्लाजा के प्रवेश द्वार पर डिजिटल बोर्ड नियमानुसार लगवाने के निर्देश दिए गए। जिओ टावर के लिए अनुमति: दशाश्वमेध प्लाजा की छत पर नियम एवं शर्तों के अधीन जिओ टावर को स्थान आवंटित करने की अनुमति दी गई। बैठक के दौरान वीडीए सचिव, अधीक्षण अभियंता निर्माण, प्रभारी अधिकारी संपत्ति, प्रबंधक स्मार्ट सिटी, प्रबंधक ISWHC, प्रबंधक DADF, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायाधीश –दि0 13.11.2024

वाविप्रा सभागार में वर्षा जल संचयन को लेकर कार्यशाला का किया गया आयोजन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वी0डी0ए0, सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रभात कुमार (टाउन प्लानर) एवं डॉ0 नम्रता जायसवाल (सीनियर हाइड्रोजियोलास्टि) की उपस्थिति में प्रवीन शर्मा निदेशक एवं सजल जैन प्रोजेक्ट हेड, अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वी0डी0ए0 सभागार में वर्षा जल संचयन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्वांचल रियल स्टेट एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन एवं आर्किटेक्ट/इंजिनियर एशोसिएशन वाराणसी के सदस्य उपस्थित रहें। जिसमें काशी में गिरते भू जल स्तर एवं विकास कार्यों हेतु भवनों में बिल्डरों द्वारा जल संचय कि अनिवार्यता पर बल दिया गया। कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण के दौरान अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा पुरानी रेन हारवेस्टिंग सिस्टम प्रणाली के स्थान पर प्योर रेन हारवेस्टिंग सिस्टम के तहत बडे. छोटे फिल्टर प्रोटेबल टैंक स्थापित कर वर्षा का जल संचय का सुझाव दिया। एशोसिएशन के सदस्यों द्वारा ट्रिटेड जल द्वारा सार्वजनिक पार्क एवं बगीचों के सिचाई का प्रस्ताव दिया गया।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 13.11.2024

दशाश्वमेध प्लाजा की छत पर लगेगा जिओ का टॉवर

वाराणसी। डीएडीएफ बोर्ड की वीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त की अध्यक्षता किया जाना तय हुआ। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिया गया। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त ने दशाश्वमेध प्लाजा की छत पर नियम एवं शर्तों के अधीन जिओ टावर को लगाने की जहां अनुमति दी, वहीं स्थान आवंटित करने का निर्देश दिया। बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष डीएडीएफ में क्रय किये गये दुकानों की निर्धारित अवधि के बाद भी किश्तें अदा नहीं किये जाने पर जहां सख्त रहे, वहीं उनके खिलाफ निरस्तीकरण की कारवाई किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अलोकप्रिय दुकानों का निराकरण होने में हो रही परेशानी पर डीएडीएफ की शेष बची हुई 24 दुकानों को कई बार ई-ऑक्शन के बाद भी बिक्री नही होने पर उन्हें शासनादेशानुसार अलोकप्रिय घोषित करने की कारवाई करने को कहा। उपाध्यक्ष ने दुकानों के बाहर लगने वाली नाम पट्टिका के संबंध में तत्काल अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अंदर कारवाई पूरी किये जाने कार्य न करने वाले वेंडर को ब्लैक लिस्ट किये जाने प्लाजा के प्रवेश द्वार पर डिजिटल बोर्ड नियमानुसार लगवाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर वीडीए सचिव, अधीक्षण अभियंता निर्माण, प्रभारी अधिकारी संपत्ति, प्रबंधक स्मार्ट सिटी, प्रबंधक आईएसडब्लूएचसी, डीएडीएफ चार्टर्ड अकाउटेंट आदि लोग उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन –दि0 13.11.2024

वीडीए में वर्षा जल संचयन कार्यशाला का हुआ आयोजन

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में मंगलवार को वी0डी0ए0 सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रभात कुमार (टाउन प्लानर) एवं डॉ0 नम्रता जायसवाल (सीनियर हाइड्रोजियोलास्टि) की उपस्थिति में प्रवीन शर्मा निदेशक एवं सजल जैन प्रोजेक्ट हेड, अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वी0डी0ए0 सभागार में में वर्षा जल संचयन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्वांचल रियल स्टेट एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन एवं आर्किटेक्ट/इंजिनियर एशोसिएशन वाराणसी के सदस्य उपस्थित रहें। जिसमें काशी में गिरतें भू जल स्तर एवं विकास कार्यो हेतु भवनों में बिल्डरों द्वारा जल संचय कि अनिवार्यता पर बल दिया गया।

कार्यशाला में प्रस्तुती करण के दौरान अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीं द्वारा पुरानी रेन हारवेस्टिंग सिस्टम प्रणाली के स्थान पर प्योर रेन हारवेस्टिंग सिस्टम के तहत बड़े छोटे फिल्टर प्रोटेबल टैंक स्थापित कर वर्षा का जल संचय का सुझाव दिया। एशोसिएशन के सदस्यों द्वारा ट्रिटेड जल द्वारा सार्वजनिक पार्क एवं बगीचों के सिचाई का प्रस्ताव दिया गया। एनवारियों एमपेरिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा फ्लो मीटर एवं पिजों मिटर का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भू-गर्भ विभाग द्वारा बोरवेल हेतु पंजिकरण एवं आनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निदेश दिये गये।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 13.11.2024

वर्षा जल संचयन के लिए हुई कार्यशाला

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम में वीडीए, सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रभात कुमार (टाउन प्लानर) एवं डॉ. नम्रता जायसवाल (सीनियर हाइड्रोजियोलास्टि) की उपस्थिति में प्रवीन शर्मा निदेशक एवं सजल जैन प्रोजेक्ट हेड, अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वीडीए सभागार में में वर्षा जल संचयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पूर्वांचल रियल स्टेट एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन एवं आर्किटेक्ट/इंजिनियर एशोसिएशन वाराणसी के सदस्य उपस्थित रहें। जिसमें काशी में गिरतें भू जल स्तर एवं विकास कार्यो के लिए भवनों में बिल्डरों द्वारा जल संचय कि अनिवार्यता पर बल दिया गया। कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण के दौरान अस्वत इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा पुरानी रेन हारवेस्टिंग सिस्टम प्रणाली के स्थान पर प्योर रेन हारवेस्टिंग सिस्टम के तहत बड़े छोटे फिल्टर प्रोटेबल टैंक स्थापित कर वर्षा का जल संचय का सुझाव दिया। एशोसिएशन के सदस्यों द्वारा ट्रिटेड जल द्वारा सार्वजनिक पार्क एवं बगीचों के सिचाई का प्रस्ताव दिया गया। एनवारियों एमपेरिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा फ्लो मीटर एवं पिजों मिटर का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भू-गर्भ विभाग द्वारा बोरवेल हेतु पंजिकरण एवं आनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निदेश दिये गये।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज –दि0 13.11.2024

वीडीए में तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया प्रशिक्षण

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर नियोजक प्रभात कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य OBPAS पोर्टल पर वस्तुविद (आर्किटेक्ट्स) द्वारा मानचित्र अपलोड करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करना था।

बैठक में विशेष रूप से स्टील्ट फ्लोर पर भूतल में पार्किंग क्षेत्र के समायोजन के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वस्तुविद को यह समझाया गया कि मानचित्र अपलोड करते समय पार्किंग क्षेत्र को कैसे समायोजित किया जाए ताकि तकनीकी आपत्तियों से बचा जा सके। वस्तुविद को निर्देशित किया गया कि OBPAS पोर्टल पर मानचित्र स्वीकृति के दौरान जो भी आपत्तियां दर्शायी जाती हैं, उन्हें संबंधित अवर अभियंता, सॉफ्टेक इंजीनियर और सहायक अभियंता की मदद से शीघ्र हल किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आपत्तियों का निराकरण कराने के उपरांत ही संशोधित मानचित्र को अपलोड किया जाए ताकि नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी आश्वासन दिए गए कि अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) शीघ्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 13.11.2024

वीडीए ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वीडीए जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही को अंजाम दिया।वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत विनय कुमार जायसवाल द्वारा मकान संख्या एस 17/25-03 नदेसर में पूर्ण निर्मित जी+3 भवन में बिना अनुमति के बेसमेंट का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा सील कर थाना कैंट की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश अवर अभियंता श्री अतुल मिश्रा मौजूद रहे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें

अवैध निर्माण सील करते वीडीए के कर्मचारी

अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

अमर उजाला –दि0 13.11.2024

वीडीए ने चार अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए की टीम ने मंगलवार को चार अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार भेलूपुर वार्ड में शिवाला के अनवर जमाल, भदैनी की शकुंतला तिवारी, शिवाला अवधगरबी के केदारनाथ गुप्ता, रश्मि नगर कॉलोनी के रवि प्रकाश पांडेय का निर्माण सील किया गया। ब्यूरो

न्यायाधीश –दि0 13.11.2024

वाविप्रा की जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माणों को किया सील

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड- भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी , अवर अभियंता राकेश सिंह तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही ।सील बंद कराये गये निर्माणों का विवरण निमन्वत है. जोन-4 में श्री अनवर जमाल, पताः-शिवाला, भवन संख्या--3/321,वार्ड-भेलूपुर वाराणसी का अवैध निर्माण सील किया गया।.जोन-4 में श्रीमती शकुंतला तिवारी, पता-क्रिमकुंड, भवन संख्या--10/50,51, भदैनी,वार्ड-भेलूपुर, लगभग 195.15 वर्गमीटर में निर्माण किया जा रहा उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।जोन-4 में श्री केदारनाथ गुप्ता द्वारा भवन संख्या--5/50 मोहल्ला- अवध गरबी,शिवाला वार्ड- भेलूपुर वाराणसी का अवैध निर्माण सील किया गया। जोन-4 में श्री रवि प्रकाश पाण्डेय द्वारा प्लाट संख्या-24, रश्मि नगर कॉलोनी,वार्ड-भेलूपुर वाराणसी का अवैध निर्माण सील किया गया।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।